बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

पटना- 800014

बिहार सरकार

पत्रांक–8 बजट (1) 10/2026 32(नि0) आ० दिनांक– 11/08/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

मुख्य अनुदेशक ,
पशुपालन विद्यालय, डुमरांव (बक्सर)।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन,उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 109 विस्तार तथा प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0001 प्रसार एवं प्रशिक्षण, मांग संख्या–02, विपत्र कोड 02–2403001090001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 28,08,400/– (अठाईस लाख आठ हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 03(नि0) दिनांक 20.04.2026 के क्रम में व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये रूपये 28,08,400/– (अठाईस लाख आठ हजार चार सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय कोड एवं विषय शीर्ष	आवंटित राशि (रू० में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	01 01 वेतन	7,68,200	15,59,800	23,28,000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	5,06,800	10,29,200	15,36,000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	83,100	1,66,100	2,49,200
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	23,700	48,300	72,000
5	01 07 अन्य भत्ता	4,900	5,000	9,900
	योग – 02–2403.00.109.0001.01– वेतन	13,86,700	28,08,400	41,95,100
6	**06 01–चिकित्सा प्रतिपुर्ति**	0	0	0
7	**11.01 यात्रा व्यय**	0	0	0
8	13 01 कार्यालय व्यय	16,500	0	16,500
9	13 03 दूरभाष	3,300	0	3,300
10	13 04 विद्युत प्रभार	33,000	0	33,000
11	13 05 विधि प्रभार	0	0	0
	योग – 02–2403.00.109.0001.13– कार्यालय व्यय	52,800	0	52,800
12	14 01 किराया, महसूल एवं कर	3,300	0	3,300
13	20 03 प्रशिक्षण व्यय	0	0	0
14	21.01 सामग्री एवं पूर्तियॉ	0	0	0
15	52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	19,800	0	19,800
	योग – 02–2403.00.109.0001.01– प्रसार एंव प्रशिक्षण	14,62,600	28,08,400	42,71,000
	रूपये 28,08,400/– (अठाईस लाख आठ हजार चार सौ) मात्र।			

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में मांग सं0 —2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 109 विस्तार तथा प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0001 प्रसार एवं प्रशिक्षण, मांग संख्या—02, विपत्र कोड 02—2403001090001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक— 09.03.2026, 314/वि० दिनांक—01.04.2026 एवं 380/वि0 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग—1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026—2027 एवं बजट प्राक्कलन 2027—2028 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026—27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक—8 बजट (1) 10/2026 प0पा0 32 (नि0) आ0/ पटना—14, दिनांक— 11 / 08 /2026

प्रतिलिपि — उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या — टी0 ए0— 57 — 96—97—प0पा0—9—46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0—405/98 पार्ट—3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन